



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/DEV-5787/JH/409/2025-RO-RNC/RU-IV

दिनांक :22.10.2025

सेवा में

श्री गंगा सिंह,

पिताश्री भगवान सिंह -
ग्राम पोस्टचियांकी -, टोलाकुसुमेटाड़ -,
वार्ड नं .01, प्रखण्डसदर मेदिनीनगर -,
जिला(झारखंड) पलामू - - 822102,
Mobile No:7667059087

विषय: अभ्यावेदक श्री गंगा सिंह, पिताश्री भगवान सिंह -, ग्राम पोस्टचियांकी -, टोलाकुसुमेटाड़ -, वार्ड नं .01, प्रखण्डसदर मेदिनीनगर -, जिला से प्राप्त अभ्यावेदन (झारखंड) पलामू -"खतियानी जमीन को जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा" के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **31.10.2025 समय 16.00 Hrs** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय

(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

MC for uploading